

राज्य शिक्षा केन्द्र
शाखा विधि... स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
विषय डब्ल्यू.पी. 1096/2016 द्वारा योगेन्द्र सिंह रघुवंशी
पृष्ठ क्रमांक 01...
नस्ती क्र. दि. 15/2/2016/24

राज्य शिक्षा केन्द्र
शाखा विधि... स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
विषय W.P. 1096/2016 द्वारा योगेन्द्र सिंह रघुवंशी
पृष्ठ क्रमांक 02...
नस्ती क्र. दि. 15/2/2016/24

विषय: न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1096 / 2016 द्वारा योगेन्द्र सिंह रघुवंशी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध में।

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1096/2016 द्वारा योगेन्द्र सिंह रघुवंशी विरुद्ध म.प्र. शासन (संलग्न) का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला गुना से संबंधित है। प्रकरण जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सह समन्वयक, साक्षर भारत, गुना को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

प्रकरण साक्षर भारत के डेस्क में संबंधित है।

JD(P) 8-3-16

है 01C कोर्टा हस्ताक्षर।
(संयुक्त संचालक)
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

स.पहिल
09/03
(सीला दाहिना)
अपर निरीक्षण संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

दीप्ति गौड़ मुकुर्मी
अधुना
राज्य शिक्षा केन्द्र
8h
10/03

विधि

क्र/श.शिक्ष/सर्वता-विधि/न्याया/2016/1977-78 त/पक्ष रिजेंड 14/3/16

पुर्व पृष्ठ N/1 पर अनुमोदन दिनांक 01/02/2016 हाईकोर्ट की फिचर गया। अतिरिक्त आदेश हेतु नस्ती विधि विभाग में संज्ञित करना चाहेगे।

JD(P) on tour
AMD (SD)

भायुक्त
8-3-16

विधि विभाग

766/AMD
15-3-16

1559/Com/2016
15-3-16

S. Dahim
14/03
(सीला दाहिना)
अपर निरीक्षण संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
दीप्ति गौड़ मुकुर्मी
अधुना
राज्य शिक्षा केन्द्र

8063

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
GWALIOR**

Process Id: 6253/2016

WP/1096/2016

From

**Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior**

**FOR ADMISSION
Fixed for 08-03-2016
DA- 03
Respondent No. 2
RAD**

To,

**The Commissioner,
Rajya Shiksha Kendra, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),**



Gwalior 19-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/ 1096/ 2016**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Yogendra Singh Raghuwanshi** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/1096/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.



AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

SECTION OFFICER
Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

W.P. NO. 1096/2016 (S)

PETITIONER

Yogendra Singh Raghuwanshi

Versus

RESPONDENTS

The State of M.P. & others

LIST OF EVENTS

DATE	PARTICULARS	ANN.
	The petitioner is aggrieved by the order dt. 02-02-2016 passed by the respondent no. 5 whereby without following the principals of natural justice and without providing an opportunity of hearing to the petitioner, the appointment of the petitioner as Prerak has been cancelled.	P/1
	The petitioner is further aggrieved by the order dt. 02-02-2016 passed by the respondent no. 2 whereby in place of the petitioner, the respondent no. 6 has been appointed on the post of Prerak.	P/2
	That, an advertisement was issued by the Rajya Shiksha Kendra for filling the post of Prerak. The petitioner and other 3 candidates have submitted their candidature in the office of J.P.	P/3
	That, after scrutiny of all the application form, a merit list was prepared by the respondents. In the aforesaid merit list, the petitioner was placed as Serial no. 2 as he secured 60.26 marks. It is submitted that one Shivendra Singh who was placed at serial no. 1 in the merit list, appointed as Samvida Shala Shikshak and on this reason he could	P/4

/15/

	not join on the post of Prerak.	
	That, it is submitted that the petitioner was the next meritorious candidate and accordingly he was appointed on 12-12-2014.	P/5
	That, all of sudden the respondent no. 6 has filed one false compliant and stated that he submitted the computer certificate alongwith the application form but the 10 marks of the aforesaid certification has not been given to him. But the fact remains is that the respondent no. 6 has not submitted the Computer certificate alongwith the application form and therefore there was no occasion to the authority to provide the 10 marks of the computer certificate.	P/6 & P/7

Date: - 07-02-2016

Gwalior

Humble Petitioner

Through Counsel

(M.P.S. RAGHUVANSHI)


(D.S. RAGHUVANSHI)

Advocates

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH**BENCH AT GWALIOR**

W.P. NO. /2016 (S)

PETITIONER*Yogendra Singh Raghuwanshi***Versus****RESPONDENTS***The State of M.P. & others***INDEX**

Sr.N	Description of Document	Annexure No (If any)	Page Number
1.	Writ Petition		1-10
2.	Affidavit		11
3.	List of Documents		12
4.	Copy of Order	P/1	13
5.	Copy of Order	P/2	14
6.	Copy of Application Form	P/3	15
7.	Copy of Merit List	P/4	16
8.	Copy of Appointment Order	P/5	17
9.	Copy of Complaint	P/6	18
10.	Copy of Application form	P/7	19
11.	POWER		20

Date: - 07-02-2016

Gwalior

Humble Petitioner

Through Counsel

(M.P.S. RAGHUVANSHI)

(D.S. RAGHUVANSHI)

Advocates

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH**BENCH AT GWALIOR**

W.P. NO. /2016 (S)

PETITIONER

Yogendra Singh Raghuwanshi, Aged-26 years, S/o Shri Ravindra Singh Raghuwanshi, Post-Prerak, Posted at Gram Panchayat Khamkheda, J.P. Aron, Distt. Guna (M.P.)

Versus**RESPONDENTS**

- 1. The State of M.P. through the Principal Secretary, Department of School Education, Vallabh Bhawan, Bhopal, (M.P.).*
- 2. The Commissioner, Rajya Shiksha Kendra, Bhopal, (M.P.)*
- 3. The Collector, Distt. Guna, (M.P.)*
- 4. The Zila Panchayat Guna, (M.P.) through its Chief Executive Officer*
- 5. The Janpad Panchayat Aron, Distt. Guna, (M.P.) through its Chief Executive Officer*
- 6. Parmal Singh Raghuwanshi, S/o Shri Babulal Raghuwanshi, R/o Village Pyasi, Gram Panchayat Khamkheda, Tehsil Aron, Distt. Guna (M.P.)*

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE**CONSTITUTION OF INDIA**

12/
MAY IT PLEASE THIS HON'BLE HIGH COURT,

The petitioner respectfully submits this writ petition as
under,

**1. PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST
WHICH THE PETITION IS MADE :**

- (1) **Date of Order :** 02-02-2016 and 02-02-2016
- (2) **Passed in Case :** Nil
- (3) **Passed by :** Respondent No. 5
- (4) **Subject-matter in brief :**

The petitioner is aggrieved by the order dt. 02-02-2016 passed by the respondent no. 5 whereby without following the principals of natural justice and without providing an opportunity of hearing to the petitioner, the appointment of the petitioner as Prerak has been cancelled. Copy of order dt. 02-02-2016 is annexed hereto and marked as Annexure P/1.

The petitioner is further aggrieved by the order dt. 02-02-2016 passed by the respondent no. 2 whereby in place of the petitioner, the respondent no. 6 has been appointed on the post of Prerak. Copy of order dt. 02-02-2016 is annexed hereto and marked as Annexure P/2.

13/
**2. A DECLARATION THAT NO PROCEEDING ON THE
SAME SUBJECT MATTER HAS BEEN PREVIOUSLY
INSTITUTED IN ANY COURT, AUTHORITY OR
TRIBUNAL. IF INSTITUTED, THE STATUS OR
RESULT THEREOF, ALONG WITH COPY OF THE
ORDER:**

The petitioner declares that no proceeding on the same subject matter has been previously instituted in any Court, authority or Tribunal.

3. DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED:

The petitioner declares that there is no efficacious remedy except to challenge the impugned order before this Hon'ble Court under article 226 of the Constitution of India

**4. DELAY, IF ANY, IN FILING THE PETITION AND
EXPLANATION THEREFORE:**

There is no delay in filing of present petition.

5. FACTS OF THE CASE :

The facts giving rise to the present petition are as under;

- (i) That, the petitioner is permanent resident of Gram Panchayat Khamkheda, Tehsil Aron, Distt. Guna (M.P.)

- (ii) That, an advertisement was issued by the Rajya Shiksha Kendra for filling the post of Prerak. The petitioner and other 3 candidates have submitted their candidature in the office of J.P. Copy of the application form of the petitioner is annexed hereto and marked as Annexure P/3.
- (iii) That, after scrutiny of all the application form, a merit list was prepared by the respondents. In the aforesaid merit list, the petitioner was placed as Serial no. 2 as he secured 60.26 marks. It is submitted that one Shivendra Singh who was placed at serial no. 1 in the merit list, appointed as Samyida Shala Shikshak and on this reason he could not join on the post of Prerak. Copy of merit list is annexed hereto and marked as Annexure P/4.
- (iv) That, it is submitted that the petitioner was the next meritorious candidate and accordingly he was appointed on 12-12-2014. Copy of appointment order is annexed hereto and marked as Annexure P/5.
- (v) That, in compliance of the appointment order, the petitioner has submitted his joining in the respondent department and since then he is continuously working with honesty, sincerity and with full devotion in the respondent department. The appointment of the petitioner has been renewed from time to time.

- (vi) That, all of sudden the respondent no. 6 has filed one false compliant and stated that he submitted the computer certificate alongwith the application form but the 10 marks of the aforesaid certification has not been given to him. But the fact remains is that the respondent no. 6 has not submitted the Computer certificate alongwith the application form and therefore there was no occasion to the authority to provide the 10 marks of the computer certificate. Copy of compliant is annexed hereto and marked as Annexure P/6. Copy of the application form of the respondent no. 6 is annexed hereto and marked as Annexure P/7.
- (vii) That, a bare perusal of the aforesaid application form it is clear that in Colum number 4 regarding certificate of computer, the respondent no. 6 has mark the sign of cross meaning thereby he has not having the certificate of computer neither alongwith the application form, he submitted the certificate. But in the photocopy of the application form, respondent no. 6 has committed forgery and in place of cross sign, by using flood, right sign has been mark. Thus the respondent no. 6 has played fraud with the Constitution while obtaining the employment. Thus the respondent no. 6 liable to be punished under the Code of Criminal Procedure and his appointment is liable to be quashed.

(viii) That, the respondent no. 6 while submitting the application/compliant has misguide the authority and stated that the post of Prerak is not vacant in Gram Panchayat Khamkheda and requested for appointment. But the fact remains is that the petitioner is continuously working and the post was not vacant despite of that without providing an opportunity of hearing to the petitioner, impugned orders are passed which are liable to be quashed.

(ix) That, if the opportunity of hearing would be provided to the petitioner, than things would be different. But in the present matter since ex-parte procedure has been adopted and no notice at any point of time has been given to the petitioner and since the impugned order entail civil consequences and therefore in view of the law laid down by the Hon'ble Apex Court of India in the case of Shri Lekha Vidhyarthi, the opportunity of hearing should be provided even to the contractual employee.

(x) That, after receiving the aforesaid complaint, the respondent without providing an opportunity of hearing to the petitioner passed the impugned order dt. 02-02-2016 by which the services of the petitioner has been terminated and on the same day another order has been passed and the respondent no. 6 has been appointed as Prerak in place of the petitioner.

(xi) That, for the foregoing reasons the present petition is filed inter-alia on the following grounds.

6. GROUNDS URGED :

(A) That, the impugned orders on the part of respondents is in violation of article 14 of the Constitution of India.

(B) That, a bare perusal of the aforesaid application form it is clear that in Colum number 4 regarding certificate of computer, the respondent no. 6 has mark the sign of cross meaning thereby he has not having the certificate of computer neither alongwith the application form, he submitted the certificate. But in the photocopy of the application form, respondent no. 6 has committed forgery and in place of cross sign, by using flood, right sign has been mark. Thus the respondent no. 6 has played fraud with the Constitution while obtaining the employment. Thus the respondent no. 6 liable to be punished under the Code of Criminal Procedure and his appointment is liable to be quashed.

(C) That, the respondent no. 6 while submitting the application/compliant has misguide the authority and stated that the post of Prerak is not vacant in Gram Panchayat Khamkheda and requested for appointment. But the fact remains is that the

/8/

petitioner is continuously working and the post was not vacant despite of that without providing an opportunity of hearing to the petitioner, impugned orders are passed which are liable to be quashed.

(D) That, if the opportunity of hearing would be provided to the petitioner, than things will be different. But in the present matter since ex-parte procedure has been adopted and no notice at any point of time has been given to the petitioner and since the impugned order entail civil consequences and therefore in view of the law laid down by the Hon'ble Apex Court of India in the case of Shrilekha Vidhyarthi, the opportunity of hearing should be provided even to the contractual employee.

(E) That, after receiving the aforesaid complaint, the respondent without providing an opportunity of hearing to the petitioner passed the impugned order dt. 02-02-2016 by which the services of the petitioner has been terminated and on the same day another order has been passed and the respondent no. 6 has been appointed as Prerak in place of the petitioner.

(F) That, Other grounds shall be urged during the course of arguments.

/9/

7. **RELIEF PRAYED FOR :**

In view of the facts mentioned in para 6 above the petitioner prays that a writ of mandamus or any other suitable writ, direction may kindly be issued and following relief may be granted to the petitioner.

- (i) That, the impugned order dt. 02-02-2016 (Annexure P/1) may kindly be quashed.
- (ii) That, the impugned order dt. 02-02-2016 (Annexure P/2) may also kindly be quashed.
- (iii) That, the respondents may kindly be directed to reinstate the petitioner in service with all consequential benefits.
- (iv) That, the respondents may kindly be further directed to produce the record of the selection process for kind perusal of this Hon'ble Court and since the respondent no. 6 has made the forgery in the public document, he may be punished under the provisions of Cr.P.C.
- (v) That, the other relief doing justice including cost be awarded.

8. **INTERIM ORDER/WRIT, IF PRAYED FOR :**

The petitioner pray that during pendency of this petition and considering the facts and circumstances of the case the petitioner most humbly prayed directing respondents to stay the effect and operation of order dt. 02-02-2016 (Annexure P/1) and order dt. 02-02-2016 (Annexure P/2) , with a further direction to allow the

/10/

petitioner to work as Prerak in Gram Panchayat Khamkheda and restrained the respondent no. 6 to work on the aforesaid post till final disposal of present case in the interest of justice.

9. DOCUMENTS RELIED ON BUT NOT IN POSSESSION OF THE PETITIONER:

The petitioner declare that the he has not relied upon any document not in possession of the petitioner

10. CAVEAT:

No notice of lodging a caveat by the opposite party is received.

Date: - 07-02-2016

Gwalior

Humble Petitioner

Through Counsel

(M.P.S. RAGHUVANSHI)

(D.S. RAGHUVANSHI)

Advocates

/11/

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

W.P. NO. /2016 (S)

PETITIONER

Yogendra Singh Raghuwanshi

Versus

RESPONDENTS

The State of M.P. & others

AFFIDAVIT

I, *Yogendra Singh Raghuwanshi, Aged-26 years, S/o Shri Ravindra Singh Raghuwanshi, Post-Prerak, Posied at Gram Panchayat Khamkheda, J.P. Aron, Distt. Guna (M.P.),* do here by solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That, I state on oath that I am petitioner in the present petition, which has been drafted by my counsel under my instruction and I have fully understood the contents thereof.
2. That, I state on oath that I have fully understood the facts of the case and the contents of writ petition from para 1 to 11 of the writ petition have been read over to me after due translation in Hindi and I have fully understood the contents thereof.
3. That, I state on oath that the contents of para 1 to 5, 7 to 11 of the writ petition are true and correct to my personal knowledge.
4. That, I state on oath that contents of para 6 of the writ petition are based on legal advise tendered by my counsel which I believe to be true and correct.
5. That, I state on oath that the documents as contained in Annexures annexed with the writ petition are photocopies of the originals.

Date: - 07-02-2016

Signature of Deponent

Yogendra Singh

AFFIRMATION

I the above named deponent do hereby verify the contents of this affidavit in para 1 to 3 and 5 as true and correct to my personal knowledge. The contents of para 4 are based on legal advise tendered by my counsel which I believe to be true and correct, no part of affidavit has been falsely stated.

Date: - 07-02-2016

Gwalior

Signature of Deponent

Yogendra Singh

/12/
IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

W.P. NO. /2016 (S)

PETITIONER *Yogendra Singh Raghuvanshi*

Versus

RESPONDENTS *The State of M.P. & others*

List of Documents

Sr.N	Description of Document	Date of Document	Original / Copy	Number of Pages
1.	Copy of Order			
2.	Copy of Order			
3.	Copy of Application Form			
4.	Copy of Merit List			
5.	Copy of Appointment Order			
6.	Copy of Complaint			
7.	Copy of Application form			

Date: - 07-02-2016

Gwalior

Humble Petitioner

Through Counsel

(M.P.S. RAGHUVANSHI)

(D.S. RAGHUVANSHI)

Advocates

ANNEXURE-1

कार्यालय विकास खण्ड लोक शिक्षा समिति आरोन जिला गुना (म0प्र0)

क. / प्रेरक नियुक्ति / साक्षर भारत / 2016 / 171

आरोन दिनांक 22.2.2016

✓ श्री योगेन्द्रसिंह रघुवंशी (प्रेरक)
ग्राम पंचायत खामखेड़ा
विकास खण्ड आरोन जिला गुना

विषय: नियुक्ति निरस्त करने बायत ।

संदर्भ: कार्यालय जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना का पत्र क. / शिक्षा. / प्रेरक नियुक्ति / साक्षर भारत / 2016 / 612 गुना दिनांक 25.1.2016 के क्रम में

—000—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के पालन में विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत खामखेड़ा के श्री परमालसिंह रघुवंशी की शिकायत की जाच उपरान्त प्रेरक नियुक्ति वरीयता सूची में श्री परमालसिंह रघुवंशी को कम्प्यूटर ज्ञान के 10 अंक निर्धारित होने से इनका कुल योग 62.95 होने से आपका कुल योग 60.206 हो गया है।

अतः वरीयता सूची में श्री परमालसिंह रघुवंशी आपसे उपर होने के कारण आपकी नियुक्ति प्रेरक पद तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी / समन्वयक
जनपद पंचायत आरोन जिला गुना

क. / प्रेरक नियुक्ति / साक्षर भारत / 2016 / 172

आरोन दिनांक 22.2.2016

- प्रतिनिधि—
1. श्रीमान कलेक्टर / समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति गुना।
 2. श्रीमान डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी (नोडल अधिकारी) कार्यालय कलेक्टर जिला गुना।
 3. श्रीमान जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी / सचिव जिला लोक शिक्षा समिति गुना।
 4. प्रधानाध्यापक / सचिव ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति मा.वि. खामखेड़ा की ओप सूचनार्थ / पालनार्थ।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी / समन्वयक
जनपद पंचायत आरोन जिला गुना

योगेन्द्र सिंह

ANNEXURE- 1 P/2

कार्यालय जनपद पंचायत आरोन जिला गुना (म.प्र.)

आरोन दिनांक 02/02/16

आदेश:-

मध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केन्द्र राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण भोपाल के अंतर्गत संचालित साक्षर भारत योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित किये जाने वाले प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर प्रेरकों के चयन हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक/रा.शि.के.0/साक्षर भारत/2012/92274 भोपाल दिनांक 27/9/2012 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार विकासखंड लोक शिक्षा समिति आरोन द्वारा परीक्षण पूर्ण कर शासन के निर्देशानुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन रुपये 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय पर निम्न के कॉलम-4 में वर्णित अभ्यर्थी को तालिका के कॉलम-4 में उल्लेखित स्थान पर पूर्णरूप से अस्थाई तौर पर प्रेरक पद पर प्रावधानों के अनुसार कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम (पिता/पति के नाम सहित)	निवास स्थान/पता	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ नियुक्ति की गयी
2	श्री परमाल सिंह रघुवंशी	प्यासी	खामखेड़ा

- सविदा अवधि 06 माह की होगी तथा कार्य मूल्यांकन उपरान्त मापदण्ड अनुरूप पाये जाने की स्थिति में ही सेवावृद्धि की जा सकेगी।
- नियुक्त प्रेरक को 7 दिवस के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति में उपस्थिति देना अनिवार्य होगी एवं उपस्थिति की सूचना कार्यालय विकासखंड लोक शिक्षा समिति आरोन को भी देना होगी।
- नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो कि शासन के आदेशों के अनुसार बदल सकती है।
- सविदा नियुक्ति योजना समाप्ति के साथ ही स्वतः समाप्त हो जावेगी।
- ग्राम पंचायत के लक्ष्य शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों का संचालन एवं प्रबंधन करना होगा।
- ग्राम स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निरक्षरों एवं स्वयं सेवी शिक्षकों की पहचान कर निरक्षरों को साक्षर करना होगा।
- प्रत्येक स्वयंसेवी शिक्षक एवं निरक्षरों को पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना होगी।
- ग्राम पंचायत में संचालित साक्षरता कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों की मॉनीटरिंग करना होगी।
- कि वे अनिवार्य नियमित रूप से साक्षरता कक्षाओं में पढ़ाने का कार्य करेंगे एवं नव साक्षरों का मूल्यांकन करना होगा।
- ग्राम पंचायत में 100 प्रतिशत महिला साक्षरता दर प्राप्त करने पर महिला साक्षरता अवार्ड का प्रस्ताव तैयार कर जिले को भेजना होगा।
- प्रेरक द्वारा उसकी नियुक्ति पश्चात शासन द्वारा सौंपे गये कर्तव्य का पालन नहीं किये जाने पर प्रेरक के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही कर पद से पृथक किया जा सकेगा।
- प्रेरकों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत विचाराधीन याचिकाओं में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- नियुक्त प्रेरक द्वारा निर्वाचित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- मानदेय नौ पत्रता प्रशिक्षण दिनों से होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत आरोन जिला गुना (म.प्र.)

आरोन दिनांक 02/02/16

पृ.क्र./स्थापना/साक्षर भारत/2016/

- अनुक्त महोदय राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर/समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर सादर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/उप समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर सादर सूचनार्थ।
- जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी / सचिव जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर सादर सूचनार्थ।

प्रोगेड

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत आरोन जिला गुना (म.प्र.)

टाइप कॉपी पेज नं. 14

कार्यालय जनपद पंचायत आरोन जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक./स्थापना/साक्षर भारत/2016/

आरोन दि. 02.02.16

आदेश

मध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केन्द्र राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण भोपाल के अंतर्गत संचालित साक्षर भारत योजना में ग्राम एकीकृत स्तर पर संचालित किये जाने वाले प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर प्रेरकों के चयन हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक/रा.शि.के./साक्षर भारत/2012/92274 भोपाल दिनांक 27.9.2012 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार विकासखंड लोक शिक्षा समिति आरोन द्वारा परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर शासन के निर्देशानुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन रुपये 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय पर निम्न (अपठनीय) में वर्णित अभ्यर्थी को तालिका के कॉलम-4 में उल्लेखित स्थान पर पूर्णरूप से अस्थाई तौर पर प्रेरक पद पर प्रावधानों के अनुसार कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है -

क्र.	अभ्यर्थी का नाम (पिता/पति के नाम सहित)	निवास स्थान/पता	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ नियुक्ति की गई
1	श्री परमाल सिंह रघुवंशी पुत्र श्री बाबूलाल रघुवंशी	प्यासी	खामखेड़ा

नियुक्ति की सेवा शर्तें :-

1. संविदा अवधि 06 माह की होगी तथा कार्य मूल्यांकन उपरान्त मापदण्ड अनुरूप पाये जाने की स्थिति में ही सेवावृद्धि की जा सकेगी।
2. नियुक्त प्रेरक को 7 दिवस के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति में उपस्थिति देना अनिवार्य होगी एवं उपस्थिति की सूचना कर्मचारी विकासखंड लोक शिक्षा समिति आशोन को भी देना होगी।
3. यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
4. संविदा नियुक्ति योजना समाप्ति के साथ ही स्वतः समाप्त हो जावेगी।
5. संविदा शिक्षक में व्यापक भ्रमण की शारीरिक क्षमता होना चाहिये।
6. ग्राम पंचायत के लोक शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों का संचालन एवं प्रबंधन करना होगा।
7. ग्राम स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निरक्षरों एवं स्वयं सेवी शिक्षकों की पहचान कर निरक्षरों को साक्षर करना होगा।
8. प्रत्येक स्वयंसेवी शिक्षक एवं निरक्षरों को पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना होगी। ग्राम पंचायत में संचालित साक्षरता कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों की मॉनीटरिंग करना होगी।
9. (अस्पष्ट) वे अनिवार्यतः नियमित रूप से साक्षरता कक्षाओं में पढ़ाने का कार्य करेंगे एवं नव साक्षरों का मूल्यांकन करना होगा।

10. ग्राम पंचायत में 100 प्रतिशत महिला साक्षरता दर प्राप्त करने पर महिला साक्षरता अवार्ड का प्रस्ताव तैयार कर जिले को भेजना होगा।
11. प्रेरक द्वारा उसकी नियुक्ति पश्चात शासन द्वारा सौंपे गये कर्तव्य का पालन नहीं किये जाने पर प्रेरक के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही कर पद से पृथक किया जा सकेगा।
12. प्रेरकों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत विचारधीन याचिकाओं में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
13. नियुक्त प्रेरक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
14. मानदेय की पात्रता प्रशिक्षण दिनांक से होगी।

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत आशोन जिला गुना म.प्र.

पृ.क्र./स्थापना/साक्षर भारत/2016

आशोन दिनांक 02.02.16

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त महोदय राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर/समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर सादर सूचनार्थ।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/उपसमन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति जिला मुख की ओर सादर सूचनाथ ।
4. जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी / सचिव जिला लोक शिक्षा समिति जिला मुख की ओर सादर सूचनाथ

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत आरसेन जिला मुख

साक्षर भारत योजना

ANNEXURE- 9/3

कार्यालय वि.खं.लोक शिक्षा समिति द्वारा आवेदक को दी जाने वाली पावती

(15)

श्री/श्रीमति/कु..... योगेन्द्र शुक्लेशी..... पिता/पति..... श्री रविन्द्र सिंह.....
निवासी ग्राम/मजरा..... रामदेव..... ग्राम पंचायत..... रामदेव..... में संविदा
आधारित रिक्त प्रेरक पद हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक..... 22/10/12..... को प्राप्त किया गया । जिसमें निम्न हस्ताक्षर
संलग्न (☒ अथवा X का चिन्ह लगावें)

क्र.	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	संलग्न के लिए <input checked="" type="checkbox"/> का चिन्ह लगावें
1.	हाईस्कूल परीक्षा अंक सूची की छायाप्रति	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	हायर सेकेन्ड्री परीक्षा अंक सूची की छायाप्रति	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	पूर्व में साक्षरता संचालित योजनाओं में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र की छायाप्रति	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	कंप्यूटर संचालन ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	मूल निवासी प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति	<input checked="" type="checkbox"/>

स्थान :-

दिनांक..... 22/10/12

आवेदक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

योगेन्द्र सिंह

ANNEXURE-7/5 कार्यालय जनपद पंचायत आरोंन जिला गुना (म.प्र.)

पृ.क्र./स्थापना/साक्षर भारत/2014/1392

दिनांक 12/12/14

आदेश

प्रत्येक शासन राज्य शिक्षा केन्द्र राज्य साक्षरता निगम प्राधिकरण भोपाल के अंतर्गत संयोजित साक्षर भारत योजना में ग्राम स्तर पर संचालित किये जाने वाले प्रौढ शिक्षा केंद्र पर प्रेरकों के नियुक्ति के संबंध में दिनांक 27/12/2012 को जारी किये गए पत्र संख्या 27/12/2012 के अंतर्गत विस्तारित लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख पुरुष कर संयुक्त के निर्देशानुसार निर्धारित सर्तों के अधीन समस्त 2000/- (दो हजार) ग्रामों पर प्रेरक पद पर योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने हेतु नियुक्ति किया जाता है।

क्र.	अध्यक्ष का नाम (पिता/पति के नाम सहित)	निवास स्थान/पता	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ नियुक्ति की गई
1.	योगेश्वर सिंह/श्री स्वच्छ सिंह	खामखेडा	खामखेडा

- संविदा अवधि 08 माह की होगी तथा कार्य मूल्यांकन केसरी मापदण्ड अनुरूप पाये जाने की स्थिति में ही सेवावृद्धि की जा सकेगी।
- नियुक्त प्रेरक को 7 दिवस के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति में उपस्थिति देना अनिवार्य होगी एवं उपस्थिति की सूचना कार्यालय विकासखंड लोक शिक्षा समिति आरोंन को भी देना होगी।
- यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- नियुक्त प्रेरक योजना समाप्ति के साथ ही सेवा समाप्त हो जाएगी।
- अध्यक्षों में व्यापक भ्रमण की शारीरिक क्षमता होना चाहिये।
- ग्राम पंचायत के लोक शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों का संचालन एवं प्रबंधन करना होगा।
- ग्राम स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित एवं अन्य सेवाओं की पहचान कर निष्कर्षों को साक्षर करना होगा।
- ग्राम पंचायत में संचालित साक्षरता कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों की मॉनीटरिंग करना होगी।
- प्रेरक का दायित्व रहेगा कि वे अनिवार्य नियमित रूप से साक्षरता कक्षाओं में पढ़ाने का कार्य करेंगे एवं नव साक्षरों का मूल्यांकन करवा देंगे।
- ग्राम पंचायत में 100 प्रतिशत महिला साक्षरता दर प्राप्त करने पर महिला साक्षरता अवार्ड का प्रस्ताव तैयार कर जिला को भेजना होगा।
- प्रेरक द्वारा उसकी नियुक्ति परचात शासन द्वारा सूचे गये कर्तव्यों का पालन नहीं किये जाने पर प्रेरक के विरुद्ध अनुशासनत्मक/दण्डात्मक कार्यवाही कर पद से हटा दिया जा सकेगा।
- प्रेरकों की नियुक्ति मन्त्रीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत विचारणीय याचिकाओं में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- नियुक्त प्रेरक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- प्रेरकों को प्रशिक्षण के दिनांक से मानदेय की पात्रता होगी।

पृ.क्र./स्थापना/साक्षर भारत/2014/1393

प्रतिलिपि:

- आयुक्त महोदय राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर/समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर सादर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/उप समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर सादर सूचनार्थ।
- जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी/सचिव जिला लोक शिक्षा समिति जिला गुना की ओर सादर सूचनार्थ।

प्रोफेसर सिंह

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत आरोंन जिला गुना (म.प्र.)

ANNEXURE-7/6

श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला गुना महोदय

विषय- प्रेरक नियुक्ति में मुझे कंप्यूटर प्रमाण पत्र के अंक दिलाने काबत।

18

महोदय

श्रीमान जी से निवेदन है कि मेने ग्राम पंचायत खामखेडा विकास खण्ड आरोंन जमशेद में प्रेरक नियुक्ति का आवेदन फार्म जमा किया था उस के साथ मैं मेने कंप्यूटर प्रमाण पत्र संलग्न किया था पर मेरे फार्म में से किसी ने कंप्यूटर प्रमाण पत्र निकाल कर निकल दिया था और मुझे 10 नंबर नहीं दिए गए था मैंने सी.बी.ओ. कार्यालय आरोंन के पास से बात कि मुझे कंप्यूटर प्रमाण पत्र के नंबर क्यों नहीं दिए गए तो बाबू ने मुझसे कहा कि तुमने पैसे नहीं दिये अगर तुम पैसे दे देते तो तुम्हारी नियुक्ति हो जाती मैंने आपत्ति नहीं लगाई थी क्योंकि चलमिल हुआ था उसके अंक मुझे 10 अंक मिलने के बाद भी उसकी प्रतिशत ज्यादा थी चयनित प्रेरक शिवेन्द्र रघुवंशी की नियुक्ति संविदा शिक्षा वर्ग 3 में चुकी है ग्राम पंचायत खामखेडा में प्रेरक पद अभी रिक्त है चयनित प्रेरक द्वारा स्वैच्छा से स्तीफा दे दिया गया जो पूर्व प्रेरक के पद पर कार्यरत था मुझे जिला लोक शिक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्देशों के क्रम में मेरिट सूची में द्वितीय क्रम पर आवेदन करवाना पड़ा था।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे पास पावती सी.बी.ओ. गुना गई है सी.बी.ओ. कार्यालय आरोंन में सेने जो फार्म जमा किया था उस सही तरीके से की जावेगा बाबू तो उस कटटे में कंप्यूटर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है श्रीमान जीसे अवरोध कि मुझे कंप्यूटर के 10 अंक अगर मिल जाते हैं तो मे मेरिट सूची के द्वितीय क्रम में आ जासगा और मेरी नियुक्ति हो जाएगी पूर्व में भी मैंने जिला प्रौढ शिक्षा कार्यालय गुना में शिकायत कर चुका हूँ शिकायत की रसीद संलग्न है।

प्रोफेसर सिंह



आयुक्त की सेवा नं. 10

संघर भारत योजना

पावती

श्री/श्रीमती/कु - परमल सिंह रघुवंशी निवासी - प्यासी
ग्राम पंचायत - खानखोरा में आयोजित शिक्षा प्रेस्क पद हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.10.12 को प्राप्त किया गया। जिसमें निम्न दस्तावेज संलग्न (अथवा का बिन्दु लम्बे)

क्र. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता संलग्न के लिए का बिन्दु लम्बे

1. हाईस्कूल परीक्षा अंकसूची की छायाप्रति
2. हायर सेकेंडरी परीक्षा अंकसूची की छायाप्रति
3. पूर्व में साक्षरता संचालित योजनाओं में कार्यानुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति। अनुभव हेतु आवेदन प्रस्तुत
4. कम्प्यूटर संचालन ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. मूल निवासी प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति।
6. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

स्थान -

दिनांक 18.10.

आवेदक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग)

बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, म.प्र.

कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया/2016/1977

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं0 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन तथा म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं0एफ-16/517/97/वि0प्र0/20, दिनांक 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सह समन्वयक, साक्षर भारत, गुना को न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1096/2016 द्वारा योगेन्द्र सिंह रघुवंशी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया जाकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्य प्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद-पत्र/याचिका में उठये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
(क) वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
(घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें वाद की सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।
10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

(दीप्ति मोड़ मुकुजी)
आयुक्त 13

राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

पृष्ठं.कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया/2016/1978
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. ~~अति~~ महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 1096/2016 द्वारा योगेन्द्र सिंह रघुवंशी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में सूचनार्थ।
4. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सह समन्वयक, साक्षर भारत, गुना की ओर पालनार्थ। कृपया नियत समय में जवाबदावा प्रस्तुत कर इस कार्यालय को अवगत करायें।
5. जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

(दीप्ति मोड़ मुकुजी)
आयुक्त 13

राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्य प्रदेश